



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07012023-241749
CG-DL-E-07012023-241749

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14]
No. 14]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 6, 2023/पौष 16, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 6, 2023/PAUSHA 16, 1944

भारतीय मानक ब्यूरो
(उपभोक्ता मामले विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर 2022

संदर्भ: HQ-PUB014/2/2020-PUB-BIS (483).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है इसमें संलग्न अनुसूची में दिये गये मानकों में संशोधन किये गये हैं।

अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	संशोधनों की संख्या एवं तिथि	संशोधनों की प्रतिस्थापन तिथि	तिथि जब तक मानक तीसरे स्तंभ में इंगित संशोधन के बिना भी लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस 17150 : 2019 पाइप नेचुरल गैस (पी एन जी) के प्रयोग हेतु मिनी घरेलू पानी के हीटर — विशिष्ट	संशोधन संख्या 3 दिसम्बर 2022	23 दिसम्बर 2022	22 जून 2023

राजीव शर्मा, वैज्ञानिक एफ एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण - I)
[विज्ञापन-III/4/असा./541/2022-23]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS**(Department of Consumer Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th December 2022

Ref: HQ-PUB014/2/2020-PUB-BIS (483).—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Amendments to Indian standards, particulars of which are given in schedule hereto annexed have been established.

THE SCHEDULE

Sl No.	No., Year & Title of the Indian Standard	No. and Month/Year of the Amendment	Date of Establishment of the Amendment	Date till which the standard without the amendment as mentioned in column 3 shall remain in force
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS 17150 : 2019 Mini Domestic Water Heater for Use with Piped Natural Gas (PNG) — Specification	Amendment No. 3 December 2022	23 Dec 2022	22 June 2023

RAJEEV SHARMA, Scientist F & DDG (Standardization – I)
[ADVT.-III/4/Exty./541/2022-23]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर 2022

संदर्भ: HQ-PUB014/2/2020-PUB-BIS (484).— भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है इसमें संलग्न अनुसूची में दिये गये मानकों में संशोधन किये गये हैं।

अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	संशोधनों की संख्या एवं तिथि	संशोधनों की प्रतिस्थापन तिथि	तिथि जब तक मानक तीसरे स्तंभ में इंगित संशोधन के बिना भी लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस 14735 : 1999 इमारतों के भीतर एवं बाहर संवातन और वर्षा के पानी के साथ मल एवं अपशिष्ट विसर्जन के लिए अनम्यकता पॉलीविनाइल क्लोराइड (यू.पी.वी.सी.) अन्तःक्षेपण संचकित फिटिंग्स – विशिष्ट	संशोधन संख्या 5 दिसम्बर 2022	23 दिसम्बर 2022	22 जून 2023
2	आई एस 15450 : 2022 तप्त और अतप्त जल आपूर्ति के लिए	संशोधन संख्या 1 दिसम्बर 2022	23 दिसम्बर 2022	22 मार्च 2023